अति आवश्यक/समयबद्व

पत्रांकःव0क0अधि0/बजट/आय–व्ययक/2020–2021/833 /2021,

प्रेषक,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

दिनांक :लखनऊःमार्च 03, 2021

विषयः– **वित्तीय वर्ष–2020–21 के आय–व्ययक में आवंटन/व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2020–2021 में शासन द्वारा विभिन्न मानक मदों में स्वीकृत बजट/अनुदान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष का व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र शासन/वित्त विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना है। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निम्न रूपेण निर्देशित किया गया है।:–

1. वित्तीय वर्ष–2020–2021 के विभागीय लेखाशीर्षक–2040 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में मुख्यालय स्तर से कुल आवंटित धनराशि के सापेक्ष ब्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र संलग्नक विहित प्रारूप में निर्धारित तिथि से पूर्व समयान्तर्गत मुख्यालय उपलब्ध कराया जाये।
2. व्यय की मानक मदों की ग्रुपिंग विषयक् वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–बी–3–1497/दस–2010–100(4)/ब0मै0–टी0सी0–।। दिनांक 21.06.2010 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं बचत का विवरण पत्र भी संलग्न प्रारूप में उपलब्ध कराया जाये।
3. वित्तीय वर्ष–2020–2021 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय एवं बचत के ऑकड़ें वरिष्ठ सहायक, लेखा/बजट एवं तत्पश्चात् प्रधान सहायक एवं आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर भली–भॉति परीक्षणोपरांत मुख्यालय प्रेषित किया जाये। ताकि अन्तिम व्यय एवं बचत के ऑकड़ों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की सम्भावना न रहे। यदि किसी भी मानक मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत उपलब्ध हो तो इसकी सूचना समयान्तर्गत मुख्यालय उपलब्ध करा दी जाये।
4. प्रायः देखा गया है कि व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र आहरण वितरण अधिकारी कार्यालयों द्वारा मुख्यालय प्रेषित किया जाता है। उसके उपरांत कतिपय आहरण वितरण अधिकारी कार्यालयों द्वारा पुनः संशोधित विवरण पत्र मुख्यालय प्रेषित किये जाते हैं, जो किसी भी दशा में उचित नहीं है। व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र मुख्यालय प्रेषित किये जाने से पूर्व वरिष्ठ सहायक, लेखा/बजट/प्रधान सहायक एवं आहरण वितरण अधिकारी भली–भॉति परीक्षण कर व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र मुख्यालय प्रेषित किया जाये।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विषय महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार समय बद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संलग्न विहित प्रारूपों में विभागीय मेल **chairman-commtax-tribunal@up.nic.in** पर **विलम्बतम दिनांक 22.03.2021 तक प्रत्येक दशा में** मुख्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि शासन से प्राप्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष वास्तविक व्यय एवं बचत के ऑकड़ें समयान्तर्गत शासन/वित्त विभाग के समक्ष प्रेषित किये जा सकें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

03.03.21

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि वरिष्ठ सहायक, लेखा मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि वांछित विवरण पत्र दिनांक **22.03.2021 तक प्रस्तुत करें।**

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।